



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55625-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 307 सन् 2026

प्रबंधन समिति और एक अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता

:

अभय कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

:

आदर्श सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

1. हमने प्रबंधन समिति/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार सिंह और मूल याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श सिंह तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. बंश नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य, 2026:एचसी:36203 मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.02.2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"6. उपरोक्त परिस्थितियों में, रिट याचिका संख्या 1101/2025 का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रबंधन समिति याचिकाकर्ता को किसी भी कानूनी बाधा के अधीन, कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे। सत्यापन के अधीन, याचिकाकर्ता को वेतन का बकाया भी भुगतान किया जाएगा। प्रबंधन समिति के प्रबंधक पर 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है क्योंकि वे न्यायालय की सहायता करने में विफल रहे।"

7. संबंधित रिट याचिका संख्या 2007/2026 यह सुनिश्चित करने के लिए है कि याचिकाकर्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए और चूंकि इस संबंध में पहले से ही निर्देश जारी किया जा चुका है जैसा कि पिछले प्रस्तारों में उल्लेख किया गया है, इसलिए वर्तमान याचिका का भी तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

8. तदनुसार, दोनों रिट याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।

3. निवेदन यह है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने वर्तमान अपीलकर्ता/प्रबंधन समिति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। मूल याचिकाकर्ता द्वारा सहायक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सहमति के बाद के आचरण पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता को यह विश्वास दिलाया गया कि रिट ए संख्या 3131/2025 में आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता के लिए रिट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक था।

4. वर्तमान में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर, यह अंतर-न्यायालय अपील दायर की गई है। अपीलकर्ता निवेदन करता है कि उसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक अवसर प्रदान किया जाए।

5. दूसरी ओर, मूल याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मूल याचिकाकर्ता ने पहले रिट ए संख्या 1101/2025 (बंश नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) दायर की थी। इसका निस्तारण निम्नलिखित टिप्पणी के साथ किया गया था:

"4. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय की प्रबंधन समिति याचिकाकर्ता को कार्यवाहक



प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करना सुनिश्चित करेगी और यदि कोई कानूनी बाधा हो, तो उसकी सूचना याचिकाकर्ता को अल्पावधि में दी जाएगी।"

6. उस समय, वर्तमान अपीलकर्ता ने विशेष अपील संख्या 104/2025 के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी। इसे दिनांक 08.04.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई:

"7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनने और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के मददेनजर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दिनांक 27.01.2025 का आदेश विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है। मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजा जाता है। रिट याचिका को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है और पक्षों को उचित अवसर देने के बाद इस पर नए सिरे से सुनवाई और निर्णय किया जाएगा।"

8. इन टिप्पणियों के साथ, विशेष अपील स्वीकार की जाती है।"

7. चूंकि यह आदेश अप्रैल 2025 में पारित किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। ऐसी परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया था।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हमें वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता है। अपीलकर्ता का आचरण न्यायालय में ऐसा कोई विश्वास पैदा नहीं करता जिससे हम ऐसे वादी को कोई रियायत दे सकें। रिट ए संख्या 1101/2025 के लंबित होने के आदेश की जानकारी से अपीलकर्ता को कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने दिनांक 27.01.2025 के पूर्ववर्ती आदेश के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 104/2025 दायर की थी। वह अपील स्वीकार कर ली गई थी और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया था। आठ महीने बीत गए। हालांकि, अपीलकर्ता उस रिट याचिका में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसे रिट याचिका के लंबित होने की जानकारी नहीं थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मूल याचिकाकर्ता को दिए गए बाद के कार्यभार ग्रहण करने के प्रस्ताव और उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के आधार पर उठाई गई आपत्ति का कोई प्रभाव नहीं है। हमने कार्यभार ग्रहण पत्र और प्रबंधन समिति के समक्ष मूल याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए हलफनामे का अध्ययन किया है। किसी भी स्तर पर और किसी भी तरह से मूल याचिकाकर्ता ने संस्था के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ा है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, यदि वर्तमान अपीलकर्ता को रिट कार्यवाही में कोई आपत्ति उठाने की अनुमति थी, तो उसे उसके अपने आचरण या लापरवाही के कारण त्याग दिया गया माना जाना चाहिए।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई विधिगत त्रुटि नहीं है। तदनुसार, वर्तमान अंतर-न्यायालय कार्यवाही **खारिज** की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

18 मार्च, 2026

प्रखर